

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/ 23485-95

दिनांक : 15/9/2020

आदेश


कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12211-12480 दि0 30.07.2020 द्वारा टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्यालय/कार्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	रैंक	कार्यालय, जिसमें प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दे रहे है	पदस्थापन मुख्यालय/कार्यालय का नाम
1	LOKESH KUMAR SEVAK	NARAYAN SEVAK	1086	उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, डूंगरपुर	मु0 सगतडा, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सलूमबर

नोट :

1. कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 23112-23399 दि0 11.09.2020 में क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री विकास कुमार शर्मा (रैंक नम्बर 1034) के संबंध में जारी पदस्थापन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
2. श्री लोकेश कुमार सेवक, नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करते समय "राजस्थान सेवा नियम के नियम 22 (ख) के अन्तर्गत बन्ध-पत्र" उपलब्ध करावें।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन वर्तमान में फिल्ड प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति दे रहे नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को नव-पदस्थापित कार्यालय के लिए तत्काल कार्यमुक्त करें तथा उनसे संबंधित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज, संबंधित कार्यालय में तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



15.9.20
(डा0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

दिनांक : 15/9/2020

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/ 23485-95

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) उदयपुर।
5. उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, प्रतापगढ/डूंगरपुर/उदयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सहायक निदेशक कृषि (वि.) सलूमबर।
8. संबंधित नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक को भेजकर लेख है कि संबंधित कार्यालय से तत्काल कार्यमुक्त होकर नव-पदस्थापित कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।
9. निजी/आरक्षी पत्रावली।


(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)